

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

5.8.21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित वकील
प्राथी ने बटल के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित
दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र की स्वीकार
किये जाने की इस्तुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों
की बटल पर मनन किया, तहसीलदार मांडल
की माँका विवाह व पेंशन सरकार के जवाब
का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम
समेलिया परिवार हल्का चौड़ास तहसील मांडल
में स्थित होकर प्राथी श्री लक्ष्मण सिंह के नाम
संयुक्त सहस्वतेदार हक से दर्ज रेकार्ड है जिसकी
तारीख प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073-2076 से
होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रार्थना पत्र में
अंकित तथ्यों के अनुसार प्राथी का नाम लक्ष्मण
सिंह के बजाय गिरधारी सिंह पिता सज्जनसिंह
नाम अंकित करवाना चाहता है जिसकी तारीख
आधार कार्ड की फोटो प्रति, पहचानपत्र की फोटो प्रति, सहस्वतेदारों
की सहस्वती परिवार राशनकार्ड की फोटो प्रति, बैंक डायरी की फोटो
प्रति, भामाराह कार्ड की फोटो प्रति आदि से होती है
उसी के अनुसार प्राथी का नाम लक्ष्मण सिंह
के बजाय गिरधारी सिंह अंकित करवाना चाहता
है। ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड में भिन्नता
नहीं हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथी अंकित
प्रार्थना पत्र की सिद्ध कराने में सफल रहने
के कारण प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाना उचित समझती हूँ। अतः

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयक्स जय

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

∴ आदेश ∴

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
ग्राम समैलिया परवार टंका धौडास तहसील
माण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता सं०
266 में आराजी सं० 403, 413, 414, 418, 419,
425 कुल बिगा 86 कुल रकबा 4.5527 हेक्टे
भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम
लक्ष्मण सिंह के बजाय गिरधारी सिंह पिता
सज्जन सिंह अंकित किये जाने का आदेश
दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि में प्रार्थी
का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।
तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड में दर्ज
करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार
माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दफ्तर दायित्व हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा